न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अधिनियम झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–276/2026

(लौकहा थाना कांड संख्या–99/2025; अन्तर्गत धाराः 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम मिथिलेश यादव उर्फ मिंटू यादव उर्फ मिटू कुमार

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
24.04.2026	आवेदक अभियुक्त **मिथिलेश यादव उर्फ मिंटू यादव उर्फ मिटू कुमार,** उम्र–24 वर्ष, पिता–पवन मैरता उर्फ पवन यादव उर्फ पवन कुमार यादव, सा0–सोनवर्षा, थाना–लौकही, जिला–मधुबनी की ओर से लौकही थाना कांड संख्या 99/2025 (अन्तर्गत धाराः 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 25.03.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शत्रुघन मंडल द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक वयस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। याचिकाकर्ता को शंका के आधार पर इस कांड में झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही की गयी है। याचिकाकर्ता न्यायप्रिय व्यक्ति है तथा तथा उसके फरार होने तथा उनके द्वारा साक्ष्य से किसी प्रकार की छेड़छाड़ किये जाने की संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा घटनास्थल से अभियुक्त साधु कुमार यादव उर्फ साधु यादव को स्कार्पियो वाहन निबंधन सं0– यूपी14एएच649 के साथ गिरफतार किया गया तथा उक्त स्कॉर्पियो से 270 लीटर नेपाली देशी मामा श्री शराब बरामद किया गया। गिरफतार अभियुक्त साधु कुमार यादव उर्फ साधु यादव द्वारा घटनास्थल से भागने में सफल रहे व्यक्ति के रूप मे आवेदक का नाम बताया गया है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बी0एन0एस0 की धारा–274, 275, 3(5) एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 09.07.2025 को रात्रि गस्ती एवं छापामारी के कम मे इस केस की सूचिका एवं अन्य पुलिस बल समय करीब 02:45 बजे ग्रम बंदरझूल्ली पूर्वी टोला स्थित मुर्गी फार्म के पास पहुंची तो देखा की एक स्कॉर्पियो काफी तेजी से पूरब दिशा की ओर से आया तथा पुलिस वाहन को देख कर गाड़ी चालक गाड़ी खड़ा कर उसमें से तीन व्यक्ति निकलकर भागने लगे जिनमें से एक व्यक्ति साधु कुमार यादव उर्फ साधु यादव को पकड़ लिया गया परन्तु अन्य दो व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़ाए व्यक्ति के द्वारा भागने मे सफल रहे दो व्यक्तियों मे से वाहन चालक का नाम मिथिलेश यादव उर्फ मिंटू यादव बताया गया जो इस अग्रिम जमानत	
लगातार...		

Nayankumar

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अधिनियम झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–276 / 2026

(लौकहा थाना कांड संख्या–99 / 2025; अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी०एन०एस० एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम मिथिलेश यादव उर्फ मिंटू यादव उर्फ मिठू कुमार

24.04.2026	आवेदन के याचिकाकर्ता है तथा दूसरा व्यक्ति का नाम बजरंगी यादव बताया गया तथा यह भी बताया गया कि वे तीनों मिलकर वाहन में रखा शराब नेपाल से खरीदकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। तलाशी के कम मे उक्त स्कॉर्पियो से 30 कार्टून, प्रत्येक कार्टून में 30 बोतल, प्रत्येक बोतल 300 मि०ली० कुल 270 लीटर नेपाली देशी मामा श्री बरामद किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 46 (शराब जांच प्रतिवेदन) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि घटनास्थल से जप्त पदार्थ शराब है। कांड दैनिकी के कंडिका 03, 07, 14, 15, 16, 35, 36 एवं 52 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटनास्थल से जप्त स्कॉर्पियो से भारी मात्रा मे शराब के बरामदगी की पुष्टि तथा उक्त स्कॉर्पियो के चालक के रूप मे आवेदक का नाम बताया गया है, जिससे प्रथम दृष्टिया याचिकाकर्ता के इस कांड मे एवं शराब के परिवहन एवं कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। कांड दैनिकी के कंडिका 29, 97 एवं 98 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम, कांड मे की गयी भारी मात्रा मे बरामदगी एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **मिथिलेश यादव उर्फ मिंटू यादव उर्फ मिठू कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित NayanKumar. 24.04.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि० न्या० उ०, झंझारपुर

Scanned with CamScanner